नीचे दिए अनुसार हैं (लागत करोड़ रूपयों में :

ककरापार 1 और 2
: 1335 (1025 मूल लागत + 310 निर्माण के दौरान ब्याज)

कैगा 1 और 2 : 2275 (1590 मूल लागत + 685 निर्माण के दौरान ब्याज)

राजस्थान 3 और 4
: 2107 (1450 मूल लागत + 657 निर्माण के दौरान ब्याज)

हालांकि इन रिएक्टरों के स्वदेशी डिजाइन के आधार पर 6 × 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले यूनिट (तारापुर में 2 और राजस्थान में 4) और 4 × 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले यूनिट (कैगा 3–6) स्थापित करने के लिए सरकार की अनुमति से अग्रिम कार्रवाई की गई थी, तथापि वित्तीय बाधाओं के कारण इन यूनिटों का निर्माण-कार्य शुरू करना संभव नहीं हो पाया। तारापुर में 2 × 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले यूनिटों के संबंध में, निर्माण-कार्य शीघ्र ही शुरू किए जाने की आशा है।

कैगा में परमाणु दुर्घटना

311. डा. नौनिहाल सिंह :
श्री सोमपाल :
श्री कुंवर हुसैन सिरजा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 मई, 1994 को कैगा स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र में संरचनात्मक अभिकल्प की खामी के कारण कोई दुर्घटना घटी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड; (ए. ई. आर. बी.) की स्वीकृति के बिना उसके संरचनात्मक ढांचे में कुछ अभिकल्पीय परिवर्तन किए गए जिसके कारण यह दुर्घटना घटी ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी विस्तृत जांच करायी है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(च) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ङ) 13 मई, 1994 को लगभग 11.45 बजे कैगा के पहले यूनिट के रिएक्टर भवन के आंतरिक संरोधक गुम्बद की अन्दरूनी सतह से कंक्रीट का एक भाग पूर्वप्रतिबलन कार्यों के दौरान अलग हो गया। न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने गुम्बद्ध के क्षय होने के कारणों का पता लगाने और उपचारी उपायों और आगे की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सिफारिश करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने भी इस घटना के बाद में जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए दो विशेषज्ञों ने स्थल का दौरा करने के दौरान निर्माण संबंधी जोड़ों की किस्म और अवस्थिति तथा पूर्व प्रतिबलन, क्रम ब्यौरों के बारे में कुछ परिवर्तन पाए। तथापि, इस घटना के घटित होने के कारणों के बारे में तो समितियों द्वारा अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने के बाद ही बताया जा सकता है।

(च) कैगा के पहले यूनिट के आंतरिक संरोधक गुम्बद का पुनः निर्माण करते समय समितियों द्वारा की गई

फिरिंगों को ध्यान में रखा जाएगा। सम्पूर्णतः सुरक्षित संरचनाएं सुनिचित करने लिए कृगा के दूसरे यूनिट और राजस्थान 3 और 4, जिनके आंतरिक संरोधक स्म्बद का डिजायन उसी तरह का है, यू निर्माण में डिजायन संबंधी उपयुक्त केरिवर्तन भी किए जाएंगे।

Cut in the price of Ranitidine

312. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had announced a cut in the price of Ranitidine, a drug for ulcer patients of the country;

(b) whether it is also a fact that the Government refused to effect the cut in the price of the drug following the repeated intervention by a drug multinational;

(c) if so, what are the main reasons for refusing to allow cut in the price of drug; and

(d) whether the cut in the price of the drug is likely to benefit a large number of ulcer patients of the country; and if so, when the cut is likely to become operational?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (d) The price of bulk drug Ranitidine has been reduced to Rs. 1835|- per kg. The prices of formulations based on this bulk drug were also reduced accordingly and notified on 6-7-1994.

Difference in the actual and allowed price of drugs

313. SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR:

SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1299 given in the Rajya Sabha on 3rd March, 1994 and state:

(a) whether it is a fact that in case of Ranitidine, Carbamezapine, diclofenac sodium, Cemitidine, Furazolidone and several other drugs, formulators made crores of rupees due to the difference in the price of bulk drugs allowed in the formulations and the actual price at which the bulk drugs were procured;

(b) what are the names of three major formulators of each drug and now much quantity of each drug was procured|consumed by each formulator during the last three years, year-wise;

(c) whether it is a fact that in the absence of Para 7 (2) of DPCO, 1979 such amounts cannot be recovered;

(d) if so, the details of other measures being taken; and

(e) whether it is a fact that in the guise of simplfying and rationalizing the pricing system, provisions meant for consumer protection in DPCO, 1979 were abolished, if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) The price of formulations are fixed|revised based on the actual price of the prevailing notified price or the landed cost of imports based on the DGHS date for drugs which are substantially imported (whichever is lower).

The details of procurement|consumption of drugs by the individual companies are not monitored.

(c) to (e) No, Sir. Para 15 of the DPCO 1987 incorporates power for recovery of dues.